रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 19, 2010/आषाढ़ 28, 1932
No. 397] NEW DELHI, MONDAY, JULY 19, 2010/ASADHA 28, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 604(अ).— पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) संशोधन अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 6 में संशोधन

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेषकर नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए) विनियम, 2008 के विनियम (6) के उप-विनियम (1) में "प्राधिकरण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि" शब्दों के बाद "या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 के विनियम 12 के परंतुक की शर्तों में दिए गए अनुसार, तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक

गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधित विनियम, 2010 द्वारा यथा संशोधित" शब्दों और आंकड़ों को जोड़ा जाए।

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2010]

रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल विनियमों को सं. सा.का.नि. 198(अ) दिनांक 19 मार्च द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2010

G.S.R. 604(E).— In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.**

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of regulation 6.**

In sub-regulation (1) of regulation (6) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Network) Regulations, 2008, after the words "period of five years from the date of authorization", the words and figures "or as extended in terms of proviso to regulation 12 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 as amended by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendments, Regulations, 2010" shall be inserted.

[F. No. S-Admn/II/8/2010]

RATAN P. WATAL, Secy.

Footnote:—Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 198(E) dated 19th March.